



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2024 /

दिनांक:-

—कार्यवाही विवरण:—

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 28/2024 वीं बैठक दिनांक 11.09.2024 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर संलग्न है। बैठक के दौरान जोन-4 के प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये।

समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-4 की 18/2024 वीं बैठक दिनांक 05.07.2024 के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 01 (राजकाज सं. 04281) (बैठक दिनांक 11.09.2024) :-

(जोन-04)

1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक/दिनांक	120 / 07.06.2024
2.	आवेदक का नाम	श्रीमती भाणी पत्नी श्री पाबुराम
3.	राजस्व ग्राम	धवा-प्रथम
4.	खसरा संख्या	996
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	9389 वर्गमीटर
6.	i. मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान 2031 के अनुसार भू-उपयोग	हाईवे-कॉरिडोर जोन (यू-3)
	ii. आवेदित भू-उपयोग मास्टर/जोनल प्लान अनुसार अनुज्ञेय है अथवा नहीं	As per general condition 16 of development control regulations “Farm houses, Eco-Friendly Houses, resort & Amusement park comes under Low Density Development Zone. Such activities shall be permissible in all land uses except Park, open spaces, playgrounds & plantation within urbanisable area of Jodhpur MDP-2031 as per prescribed norms, subject to condition that in future as development take place as per master plan use, the same will be used in accordance to the land use specified in MDP-2031. उक्तानुसार यू-3 जोन में फार्म हाउस अनुज्ञेय है।
	iii. जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित सड़क से प्रभावित है अथवा नहीं	वर्तमान में उक्त क्षेत्र का जोनल डवलपमेंट प्लान बना हुआ नहीं है।
7.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग	फार्म हाउस एकल
8.	आवेदित भूमि का न्यूनतम 100 मीटर का सर्वे प्लान	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 35 पर संलग्न है।
9.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत गूगल प्लान की प्रमाणित प्रति (Coordinate सहित)	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 31 पर संलग्न है।
10.	सहायक नगर नियोजक/प्रारूपकार द्वारा पार्ट लैण्ड-यूज प्लान की प्रमाणित प्रति	राजकाज पर PUC-2/C पर संलग्न है।
11.	प्रस्तावित ले-आउट प्लान की प्रति (आवेदक	पत्रावली के पृष्ठ संख्या 30 पर संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Anu Agarwal
Designation: Deputy Town Planner
Date: 2024.09.20 15:05:33 IST
Reason: Approved



1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक/दिनांक		129 / 08.07.2024		
2.	आवेदक का नाम		श्री हरीराम मेघवाल पुत्र स्व. श्री बींजाराम		
3.	राजस्व ग्राम		गंगाणा		
4.	खसरा संख्या		25 / 1		
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		19425 वर्गमीटर		
6.	i. मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान 2031 के अनुसार भू-उपयोग		आवासीय		
	ii. आवेदित भू-उपयोग मास्टर/जोनल प्लान अनुसार अनुज्ञेय है अथवा नहीं		अनुज्ञेय है		
	iii. जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित सड़क से प्रभावित है अथवा नहीं		जोनल डवलपमेंट प्लान की 24 मीटर सड़क पर स्थित हैं।		
7.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग		आवासीय योजना		
8.	आवेदित भूमि का न्यूनतम 100 मीटर का सर्वे प्लान		पत्रावली के पृष्ठ संख्या 28 पर संलग्न है।		
9.	आवेदक द्वारा प्रस्तुत गूगल प्लान की प्रमाणित प्रति (Coordinate सहित)		पत्रावली के पृष्ठ संख्या 30 पर संलग्न है।		
10.	सहायक नगर नियोजक/प्रारूपकार द्वारा पार्ट लैण्ड-यूज प्लान की प्रमाणित प्रति		राजकाज पर PUC -3/C पर संलग्न है।		
11.	प्रस्तावित ले-आऊट प्लान की प्रति (आवेदक व तकनीकीविज्ञ द्वारा प्रमाणित)		पत्रावली के पृष्ठ संख्या 42 पर संलग्न है। (आवेदक व तकनीकीविज्ञ द्वारा अप्रमाणित)		
12.	जोन चैकलिस्ट की प्रति		पत्रावली के पृष्ठ संख्या 38-40 पर संलग्न है।		
13.	राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट		पत्रावली के पृष्ठ संख्या 34-36 पर संलग्न है।		
14.	प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट		पत्रावली के पृष्ठ संख्या 32 पर संलग्न है।		
15.	तकनीकीविद्/आर्किटेक्ट का विवरण व शपथ पत्र		तकनीकीविद् द्वारा प्रमाणित नहीं है।		
16.	ले-आऊट प्लान का प्रकार		आवासीय योजना		
			2 हैक्टेयर से कम	2-10 हैक्टेयर 10 हैक्टेयर से अधिक	
17.	सहायक नगर नियोजक/प्रारूपकार द्वारा किए गए क्षेत्र विश्लेषण/मानदण्ड आदि का विवरण		राजकाज पर पैरा एन/7 व 18 पर दर्शित है।		
18.	प्रस्तुत ले-आऊट प्लान का क्षेत्र विश्लेषण				
	क्र. सं.	विश्लेषण बिन्दू	नियमानुसार मानदण्ड	ले-आऊट प्लान में प्रदर्शित	टिप्पणी
	A.	योजना ले-आऊट प्लान में दर्शित कुल क्षेत्रफल	न्यूनतम क्षेत्रफल निर्धारित नहीं है	19424.93 वर्गमीटर	अनुज्ञेय है
	B.	जमाबन्दी अनुसार क्षेत्रफल (जोन चैक लिस्ट अनुसार)	19425 वर्गमीटर	19424.93 वर्गमीटर	अनुज्ञेय है
	C.	क्षेत्रफल	अधिकतम 60 प्रतिशत	59.98 प्रतिशत	अनुज्ञेय है
	D.	ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. एच. क्षेत्र	2 है0 से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओ	प्रस्तावित नहीं है	—

Signature valid

Digitally signed by Anu Agarwal
Designation: Deputy Town Planner
Date: 2024.09.20 15:05:33 IST
Reason: Approval

	E.	वाणिज्यिक क्षेत्र	हेतु आवश्यक 2 हैक्ट. से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओ हेतु आवश्यक	प्रस्तावित नहीं है	—
	F.	सुविधा क्षेत्र	MT, SWM का प्रावधान आवश्यक है।	0.12 प्रतिशत	अनुज्ञेय है
	G.	पार्क/खुला क्षेत्र/वृक्षारोपण	न्यूनतम 5 प्रतिशत	5.02 प्रतिशत	अनुज्ञेय है
	H.	पहुंच मार्ग की चौड़ाई	राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 अनुसार 12 मीटर	80 फीट	अनुज्ञेय है
19.	ले-आऊट प्लान अनुमोदन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर टिप्पणी			जोन चैक लिस्ट अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी है	
20.	यदि पूर्व में उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान समिति में रखा गया है तो बैठक दिनांक एवं विवरण अंकित करें साथ ही बैठक कार्यवाही विवरण भी संलग्न करें।			नहीं	
21.	प्रकरण के तथ्य : 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। आवासीय भू-उपयोग की डी.सी.आर. अनुसार 12 मीटर व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर 2 हैक्ट. क्षेत्रफल तक की आवासीय योजना अनुज्ञेय है। 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौका एवं राजस्व रेकॉर्ड अनुसार 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा खसरा सं. 25 से लगते हुए दक्षिण दिशा में ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 40 का 80 फीट सड़क पर अनुमोदित ले-आउट प्लान की प्रति प्रस्तुत की है, जो खसरा संख्या 25 के पश्चिमी हिस्से पर लगती है। 3. आवेदित भूमि को मौका अनुसार पहुंच मार्ग के संबंध में राजस्व तहसीलदार एवं प्राधिकरण तहसीलदार की रिपोर्ट में भिन्नता होने से जोन स्तर पर प्रेषित किया गया, जिसके संबंध में जोन स्तर से 80 फीट पर पूर्व में किये गये कमिटमेंट के संबंध में रास्ते बाबत् टिप्पणी की गई है। 4. आवेदित भूमि के खसरे के दक्षिण दिशा में जोनल डवलपमेंट प्लान की 80 फीट सड़क स्थित है, उक्त सड़क को पूर्व में किए गए कमिटमेंट (खसरा सं. 40) अनुसार 80 फीट रखा जाना अपेक्षित है। 5. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है व आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है। 6. प्रश्नगत भूमि का 90/क का आदेश दिनांक 02.05.2024 को आवासीय योजना प्रयोजनार्थ रकबा 19425 वर्गमीटर का जारी किया गया है, जो यह दर्शाता है कि आवेदित भूमि को न्यूनतम पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है (पृष्ठ सं 37 पर संलग्न है)।				
22.	प्रकरण में अनुशंसा की जाती है। हाँ/ना ?			हां	
23.	यदि बिन्दु संख्या 22 में ना है, तो उक्त का विवरण			—	
24.	निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये कमिटमेंट एवं जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित				

Signature valid

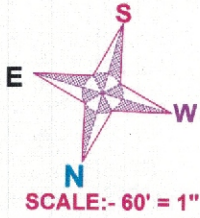
Digitally signed by Anu Agarwal
Designation: Deputy Town Planner
Date: 2024.09.20 15:05:33 IST
Reason: Approval

	भूमि के पश्चिम दिशा में 24 मीटर (सड़क के मध्य बिन्दु से 12 मीटर) सड़क मार्गाधिकार रखे जाने की सुनिश्चितता की जाएं। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाएं। 2. रेरा अधिनियम-2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जाए। 3. प्रस्तावित ले-आउट प्लान किसी आस-पास स्थित उच्च क्षमता की विद्युत लाईन के सेफ्टी कॉरिडोर व सड़क/निर्माण निषिद्ध क्षेत्र से प्रभावित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाएं। 4. आयोजना शाखा द्वारा नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए दिये गए सुझावों एवम् टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों को समावेश करते हुए समिति द्वारा ले-आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। 5. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जाएं। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है. से कम है। अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरांत किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 हैक्ट. से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जाएं। 8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जाएं। 9. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जाएं एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जाएं। 10. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 11. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमाकेशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जाएं। 12. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जाएं कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाएं। 13. प्रस्तावित ले-आउट प्लान के भूखण्ड पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	---

Signature valid

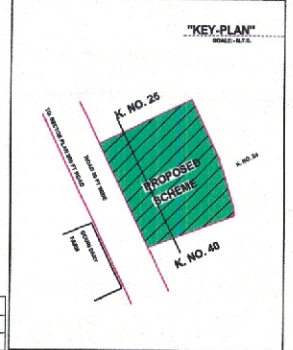
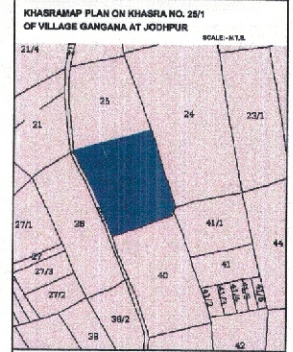
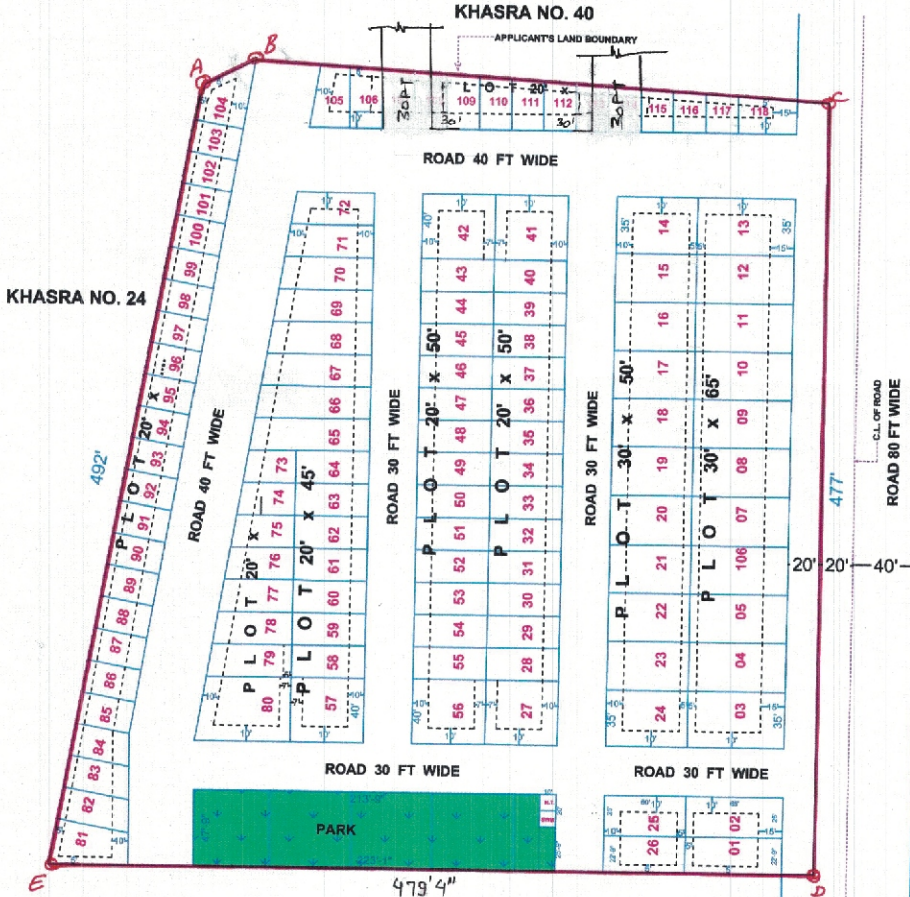
Digitally signed by Anu Agarwal
Designation: Deputy Town Planner
Date: 2024.09.20 15:05:33 IST
Reason: Approved

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO. 25/1 OF VILLAGE GANGANA AT JODHPUR



AREA ANALYSIS

S.NO.	PARTICULAR	SQ. YDS.	%
1	RESIDENTIAL AREA	13414.33	50.68
2	ROAD AREA	8412.37	36.23
3	PARK AREA	01163.08	008.00
4	M.T & S.W.N. AREA	00022.22	008.10
5	TOTAL AREA	23232.00	100.00



दिनांक 22/04/2024 को कर एम्प्लॉयमेंट
कमिशन LAYO T PLAN से LAYO PLAN
का मिलान कर एम्प्लॉयमेंट को जमा करने से लिए
A से E तक जारी किया गया।
22/04/2024
आचार्य प्रजापत
निर्माता (मालिक)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
-जोधपुर-

ARUN PRAJAPAT
Licence No. JDA/M/28
K-34, BALAJI COLONY, MASURIYA,
JODHPUR (RAJ.)
Mob. 9001985056

एम्प्लॉयमेंट संख्या 33 (राजस्थान सं. 05596) (दिनांक 11.09.2024) :-

(जोन-04)

1.	आयोजना शाखा में प्रारंभ क्रमांक/दिनांक	129/08.07.2024
2.	आवेदक का नाम	श्री हरिहर मेघवाल पुत्र एवं श्री बीजाराज
3.	राजस्व भाग	नगरीय
4.	खसरा संख्या	25/1
5.	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	19426 वर्गमीटर
6.	प्राप्ति द्वारा प्राप्त गत उपयोग	आवासीय योजना
7.	निर्णय :-	

समिति द्वारा एम्प्लॉयमेंट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्रारंभिकरण द्वारा पूर्व में किये गये कन्ट्रिब्यूट एवं जोनल डेवलपमेंट प्लान अनुसार अर्जित भूमि के परिचय दिनांक 24 मीटर (सड़क के मध्य बिन्दु से 12 मीटर) सड़क मार्गाधिकार एवे जाने की सुनिश्चितता की जाए। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्राप्ति की भूमि में से जोड़िया के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाए।
2. रीटा अधिनियम-2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलैटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारों, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटिंग योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रीटा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जाए।
3. प्रस्तावित ले-आउट प्लान किसी आस-पास स्थित अन्य भूमि की विद्युत लाईन के सेफ्टी कॉरिडोर व सड़क/निर्माण निषिद्ध क्षेत्र से प्रभावित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाए।
4. आयोजना शाखा द्वारा नियोजन की सुनिश्चितता रखते हुए दिने गए सुझावों एवं टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों को समायोजित करते हुए समिति द्वारा ले-आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
5. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक द्वारा पर सुनिश्चित की जाए।
6. योजना का क्षेत्रफल 2 है, से कम है। अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियंत्रिकी की स्वीकृति उपरत किया जा सकेगा।
7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2016 के प्रावधानानुसार 2 हैण्ड, से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर दी जाए।
8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार नोबॉइल टॉवर एवं दोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जाए।
9. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्त्री की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्त्री बचत की जाए एतन् सैटेलेट क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जाए।
10. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्य की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के तत्पश्चात रहन मुक्त किया जावेगा।
11. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाई गए सुझाव क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमांडेशन की सुनिश्चितता जोन/प्राप्ति स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्राप्ति द्वारा की जाए।
12. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बंधित अन्य राजस्व प्रशासनिक, शार, अनाति एवं मालिकाना हक की समस्त सिमेंटरी प्राप्ति की स्वयं की होनी। प्राप्ति से इस बात सत्य-सत्य लिया जावे कि प्रकरण भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बात जोन स्तर पर सत्य-सत्य लेकर ही पट्टा जारी किया जाए।
13. प्रस्तावित ले-आउट प्लान के दृष्टि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से गत मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

अथ नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

निर्देशक आचार्य
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

क्रमांक :- जोन-4/2025/

दिनांक :- हस्ताक्षरित दिनांक

मैसर्स आयुषी बिल्डकॉन प्रा. लि.
जरिये डायरेक्टर श्री एम डी शर्मा पुत्र
श्री बंशीलाल जी
221, श्याम नगर, पाल लिंक रोड़, जोधपुर।

विषय :- रहन रखे गये भूखण्डों के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राधिकरण द्वारा आपकी खातेदारी भूमि ग्राम गंगाणा के खसरा सं. 25/1 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि का 90-क का आदेश दिनांक 02.05.2024 को किया गया, जिसका ले-आउट प्लान प्राधिकरण की ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 11.09.2024 को अनुमोदित किया गया।

उक्त कॉलोनी में आपके द्वारा 12.50 प्रतिशत भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में रहन रखने हेतु एक रहननामा प्रस्तुत किया गया, जो नियमानुसार सही होने के कारण स्वीकृत किया जाकर भूखण्ड सं. 65 से 71, 102 से 104 व 109 से 112, 115 से 118 रकबा 1705.54 वर्गगज रखा जाता है।

उपायुक्त जोन 4
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

Signature valid

Digitally signed by Aditi Purohit
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2025.09.03 17:31:24 IST
Reason: Approved

